**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**
**पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.**

**प्रकरण संख्या 2 / 2017 (डूंगरपुर आर्डर)**

1. देवा पिता जवानसिंह लबाना, निवासी निठाउवा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. नाथू पिता जवानसिंह लबाना, निवासी निठाउवा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

**बनाम**

1. सुभाषचन्द्र पिता स्वर्गीय लबाना, निवासी निठाउवा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. जगदीश मुतबन्ना अमरसिंह लबाना, निवासी निठाउवा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा
दिनांक 08–03–2017 प्र॰सं॰ 72 / 16

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री नरेश जोशी अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री शैलन्द्र भण्डारी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3

———::———

**निर्णय** **दिनांक 28–02–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का खसरा नंबर 173 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा भूमि ग्राम बांकडा में स्थित है, जिसके दक्षिण दिशा में खसरा नंबर 251 एवं 250 के पश्चात बाकडा–नयां गांव डामरीकृत सड़क है तथा प्रार्थी अपनी उक्त भूमि पर इस रास्ते के उत्तर दिशा की तरफ स्थित आराजी नंबर 249, 250 व 251 के मध्य स्थित 10 फिट आवाजाही रास्ते से अपने खेत आराजी नंबर 173 पर आता–जाता है। विपक्षीगण ने प्रार्थी के खेत पर आने–जाने के रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है, जबकि प्रार्थी को अपने खेत पर आने–जाने का

संवैधानिक अधिकार है। अतएवं प्रार्थी को खसरा नंबर 173 के दक्षिण में स्थित खसरा नंबर 250 जो बिलानाम होकर खसरा नंगर 249 व 251 से मिलता है। खसरा नंबर 250 के बाद प्रार्थी के खेत तक पहुंचने के लिए महज 40 फिट की दूरी है अतएवं प्रार्थी को अपने खेत पर पहुंचने के लिए 10 फिट रास्ता दिलावाया जावे।

उक्त आवेदन प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण को नोटिस जारी किये, जिस पर विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विपक्षीगण की खातेदारी भूमि आराजी नंबर 249 का प्रार्थी द्वारा कभी भी रास्ते के रूप में उपयोग नहीं किया है। प्रार्थी डामर सड़क से उसकी खाते की आराजी में बिलानाम आराजी नंबर 250 से आते–जाते है, आराजी नंबर 249 से आने–जाने का कथन सरासर गलत है।

अधिनस्थ न्यायालय ने जवाब पेश होने के बाद तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की, जिसमें दिनांक 24–12–2016 को मौका देखा गया व उक्त मौके व नजरी नक्शे की रिपोर्ट शामिल पत्रावली है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों को सुनने के बाद दिनांक 08–03–2017 को निर्णय पारित करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार बिलानाम आराजी नंबर 250 तथा आवश्यकता होने पर निजी आराजी नंबर 251 व 249 से रास्ता मौका व रिकार्ड में कायम करने के आदेश तहसीलदार को देते हुए प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि निजी खातेदारों की भूमि रास्ता कायम करने की स्थिति में प्रार्थी से नियमानुसार प्रतिकर की राशि राजकोष में जमा की जावे।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 08–03–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23–03–2016 को पेश की गयी है।

अपील पेश होने पर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से श्री शैलेष भण्डारी ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपील ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट ने प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका दिनांक 08–03–2017 में यह आदेश पारित किया कि आराजी नंबर 173 पर जाने के लिए एक मार्ग उपलब्ध है तथा आराजी नंबर 251 के खातेदार अपनी आराजी में से रास्ता निकाले जाने से सहमत हैं। आराजी नंबर 249 के खातेदार मुख्य सड़क से रास्ते के आरम्भ में यथासंभव आराजी नंबर 250 बिलानाम भूमि है। रास्ता निकालने तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी भूमि आराजी नंबर 249 से रास्ता निकालने हेतु सहमत हैं, जबकि अपीलान्ट/विपक्षी ने कभी भी अपने सहमति नहीं दी। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने सहमति मानते हुए आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट ने अपने जवाब में किसी प्रकार की सहमति नहीं दी। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश कल्पना पर आधारित है। अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त नहीं किया गया तो रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपीलान्टगण की जमीन में रास्ता निकालने की कार्यवाही की जायेगी, जिससे कि अपीलान्टगण को भारी नुकसान होगा।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड व अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात पर मनन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रेस्पोन्डेन्ट के आवेदन पर विचार किया। प्रस्तुत आवेदन, अपीलान्ट का जवाब तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट जिसमें तहसीलदार ने सुस्पष्ट अंकित किया है कि प्रार्थी आराजी नंबर 173 में प्रस्तावित मार्ग से पगडण्डी रूप में आना जाना करता था। उस मार्ग को वर्तमान में पत्थर डालकर रूकावट की गयी है एवं बिजली के पोल भी हैं तथा इस कारण से बैलगाड़ी ले जाने में भी समस्या है। प्रार्थी द्वारा वांछित मार्ग के अतिरिक्त कोई अन्य लघुत्तम उपयुक्त्तम मार्ग संभावित नहीं है। उपरोक्त रिपोर्ट से यह सुस्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी नंबर 173 में जाने के लिए रास्ता उसकी आराजी के दक्षिण में स्थित बिलानाम आराजी नंबर 250 तथा आराजी नंबर 251 से होकर तो आवश्यक

रूप से जाता था। अपीलान्ट का यह कथन है कि आराजी नंबर 249 से होकर रास्ता नहीं जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि रास्ता जो प्रारम्भ होता है वह आराजी नंबर 173 पर पहुंचने के लिए उसके दक्षिण दिशा में स्थित बिलानाम आराजी नंबर 250 से प्रारम्भ होता है तथा उक्त आराजी नंबर 250 के उत्तर की ओर आराजी नंबर 251 है तथा उक्त आराजी के पश्चिम दिशा की ओर आराजी नंबर 249 है। नक्शा ट्रेस देखने पर भी यह सुस्पष्ट होता है कि आराजी नंबर 173 पर पहुंचने के लिए आराजी नंबर 250 से प्रारम्भ करके रास्ता 10 फिट चौड़ा दिया जाना है ताकि सभी पक्षकारों को उक्त रास्ते की उपलब्धता हो सके। आराजी नंबर 250 जो कि बिलानाम है, उससे रास्ता प्रारम्भ कर आराजी नंबर 249 व 251 को मिलाते हुए आराजी नंबर 173 तक पहुंचने का 10 फिट चौड़ा रास्ता दिया गया है, जो आराजी नंबर 249 एवं 251 के लिए भी समान रूप से उपादेय होगा। अपीलान्ट का सिर्फ यह उजर है कि उसने अपनी सहमति नहीं दी है, उसकी सहमति नहीं देने के बावजूद भी जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उक्त रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आराजी नंबर 173 पर पहुंचने के लिए कोई वैकल्पिक अथवा लघुत्तम मार्ग उपलब्ध नहीं है, तद्नुसार हम अपीलान्ट की इस अनावश्यक चातुर्यता को किसी प्रकार से विधिक नहीं पाते हैं। हम यह पाते हैं कि चाहे अपीलान्ट सहमत हो अथवा असहमत, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व न्याय व साम्या के आधार पर आराजी नंबर 173 पर पहुंचने के लिए जो 10 फिट चौड़ा रास्ता आराजी नंबर 250 बिलानाम से प्रारम्भ करते हुए आराजी नंबर 249 व 251 को शामिल करते हुए तय किया है, उसमें हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08–03–2017 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 28–02–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एल.एन. मंत्री)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**